फर्द अहकाम अन्तर्गत नियम 26

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

बाधु देवी व अन्य बनाम दर्शना देवी व अन्य

प्रकरण संख्या 2022/102

online #

अन्तर्गत धारा 88, 188, 91, 92ए, 209 आरटीए एक्ट

आदेश दिनांक	आदेश अथवा कार्यवाही विवरण	आदेश कमांक एवं दिनांक
08.12.2022	वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री बलराम सुथार द्वारा उपस्थित आकर वादपत्र प्रस्तुत, वाचक द्वारा अपेक्षित प्रतिवेदन प्रस्तुत, दर्ज पंजिका हो, प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी हो. पत्रावली दिनांक 04 जनवरी, 2023 को पेश हो.	
4.1.23	अभिभाषकगण उपस्थित प्रतिवादी सं० 1 ता 3, 6 ता 8 की ओर से अभिभाषक श्री राजकुमार (नागपाल) द्वारा एवं प्रतिवादी सं० 10 की ओर से अभिभाषक श्री राजकुमार द्वारा वकालतनामा प्रस्तुत शामिल पत्रावली किया। आज पीठासीन अधिकारी अल्पकालीन अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13.2.23 को पेश हो	
13/2/23	अभिभाषकगण उपस्थित, श्री सुनील कुमार द्वारा प्रतिवादी सं० 4 [illegible] -03 मय मृत्यु प्रमाण पत्र प्रस्तुत शामिल पत्रावली किया। आज पीठासीन अधिकारी अल्पकालीन अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 17.2.23 को पेश हो	
17/2/23	अभिभाषकगण उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से अभि० श्री राजकुमार (नागपाल) द्वारा वकालतनामा एवं प्रतिवादी [illegible] 8 की ओर से जवाबदावा पत्र [illegible] शामिल पत्रावली किया। आज पीठासीन अधिकारी अल्पकालीन अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 13/3/23 को पेश हो	
13/3/23	आज बार संघ ने कार्य नहीं करने का निर्णय लिया है। पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 5/4/23 को पेश हो।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

29.10.24 अधिवक्ता अप्रपक्ष उप० / न अधिवक्तागण द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत CPC पर बहस प्रस्तुत की गई। बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 11.11.24 को पेश हो।

11.11.24 अधिवक्ता अप्रपक्ष उप० / न्यायालय कार्य की अधिकता के कारण निर्णय नहीं लिखवाया जा सका। पत्रावली वास्ते आदेश हेतु दिनांक 18.11.24 को पेश हो।

18/11/24 आज पीठासीन अधिकारी अवकाश पर है, पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 25/11/24 को पेश हो।

25.11.24 अधिवक्ता अप्रपक्ष उप० / मजीद बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते [illegible] CPC आदेश [illegible] हेतु दिनांक [illegible] को पेश हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

बाधु देवी व अन्य बनाम दर्शना देवी व अन्य
प्रकरण संख्या 2022/102

29.11.2024 पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित । पत्रावली मे बहस प्रार्थना पत्र अर्न्तगत आदेश 07 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी समाहित की जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी ने प्रार्थना पत्र के कथनों को दोहराते हुए कथन किए कि– वादीगण ने हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के खिलाफ चक 4 जी बड़ी के पटवार हल्का कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/45 के मुरब्बा नम्बर 3 के किला नम्बर 1, 2, 3, 8, 9, 10 ता 13, 19 ता 12 कुल 13 बीघा यानि 2.657 हैक्टे0 कृषि भूमि बाबत प्रतिकूल कब्जा होने के आधार पर अपने अधिकारों की घोषणा करवाने बाबत व स्थाई निषेधाज्ञा अपने पक्ष में जारी करवाये जाने बाबत वाद पेश किया। वाद में वर्णित आराजी चक 4 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां के खाता संख्या 52/45 के मुरब्बा नम्बर 3 के 13 बीघा और मुरब्बा नम्बर 4, 15, 16 की कुल 6.173 हैक्टे0 कृषि भूमि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के पिता मनफूलराम पुत्र जियाराम ने अपने जीवनकाल में अपनी ओर से प्रतिफल देकर खरीद की थी जिनके नाम से बतौर खातेदारी राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज किया गया। मनफूलराम की मृत्यु के बाद यह आराजी हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम से बतौर वारिसान राजस्व रिकॉर्ड में इन्द्राज की गयी। यह भूमि हम प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण के नाम से राजस्व रिकार्ड में बतौर खातेदारी दर्ज है और इस भूमि पर न तो अधिकार है और न ही कब्जा है। वादीगण ने अपने वाद में प्रतिकूल कब्जा के आधार पर चक 4 जी बड़ी के खाता संख्या 52/45 के मुरब्बा नंम्बर 3 के किला नम्बर 1 ता 3, 8 ता 13, 19 ता 22 की 2.657 हैक्टे0 कृषि भूमि बाबत खातेदार अधिकारों की घोषणा हेतु वाद पेश कर रखा है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रतिकूल कब्जा के आधार पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का कोई प्रावधान नहीं है। आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के अनुसार वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण चलने योग्य नहीं है। इस आधार पर वादीगण का वाद खारिज होने योग्य है। अतः प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के समर्थन में न्यायिक दृष्टांत Citation : 2022 (2) DNJ (Rev.) 1468 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, Citation : 2012 DNJ (SC) 734 SUPEME COURT OF INDIA, Citation : 2022 (2) DNJ (Rev.) 1544 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER, RRD 2011 PAGE NO. 508 पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का जवाब पेश नहीं करने पर दिनांक 12.06.2024 को जवाब प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी बन्द कर दिया गया। अधिवक्ता अप्रार्थीगण/वादीगण द्वारा प्रार्थना पर आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर जवाब बहस में कथन किये कि– वादिया संख्या 01 के पति एवं वादी संख्या 02 ता 04 के पिता बनवारी लाल पुत्र जियाराम एवं प्रतिवादीगण के पिता व पति मनफूलराम पुत्र जियाराम [illegible] सगे भाई है। मनफूलराम बड़ा भाई होने के कारण संयुक्त परिवार में चक 4 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या [illegible] के मु0 नं0 3 के किला नं0 1, 2, 3, 8, 9, 10 ता 13, 19 ता 22 कुल 13 बीघा व मु0 नं0 4 के किला नं0 1/1, 1/2, 2/1, 2/2, 9 ता 12, 19 ता 22 व मु[illegible]0 45 के किला नं0 1/1, 1/2, 2, 9, 10 ता 12, 20, 21 व मुरब्बा नं0 16 के किला नं0 1 में 0.190 हैक्टे0 कुल 6.173 हैक्टे0 नहरी रकबा जरिये बैयनाम मनफूलराम पुत्र जियाराम के नाम खरीद किया, जिसका कब्जा काश्त पारिवारिक मौखिक समझौते अनुसार वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ता 8 का बहिस्सा बराबर चला आ रहा है। मनफूलराम का देहान्त 1995 में हो चुका है । एवं चक 4 जी बड़ी, पटवार हल्का कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/45 की कुल 6.173 हैक्टे0 नहरी कृषि भूमि विरासतन इंतकाल मनफूलराम के जायज वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम हो गया। वादीगण के

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव कार्यपालक दण्डनायक (फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

कब्जा काश्त में चक 4 जी बड़ी के खाता संख्या 52/45 में मु.न. 2.657 हैक्टे0 कृषि भूमि पर पारिवारिक मौखिक समझौता अनुसार चली आ रही है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के मन में लालच आ जाने के कारण वह संयुक्त खाता की भूमि में से रकबा बेचान करना चाहते है। जबकि आज तक उपरोक्त संयुक्त खाता का कभी विधिवत विभाजन नही हुआ है। और वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 एक ही परिवार के सदस्य होने के कारण वादीगण ने अपने नाम उपरोक्त रकबा नहीं करवाया और वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण से बार बार आग्रह किया गया कि मु.न. 3 का 2.657 हैक्टे0 रकबा हमारे हक व हिस्सा में आया हुआ है, जिस पर हमारा बंटवारा अनुसार कब्जा काश्त चला आ रहा है, आप हमारे नाम करवा दो तो प्रतिवाद संख्या 1 ता 8 हर बार टालमटोल करते रहे, अतः वादीगण के लिए दावा हाजा लाना आवश्यक हो गया। वादी न्यायालय के क्षेत्राधिकार है, विधि द्वारा वर्जित नही है। अतः प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात एवं न्यायिक दृष्टांतो का ससम्मान अध्ययन किया गया। प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 संपठित धारा 151 सी.पी.सी. का स्कोप अत्यन्त सीमित है, जिसमें वाद में अभिलिखित कथनों के सही होने की अवधारणा की जाती है। सी.पी.सी. के आदेश 7 नियम 11 में स्पष्ट लिखा है कि–

(क) जहां वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया है वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग) जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वाद पत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किए जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ) जहां वाद पत्र में कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।

(ङ) जहां यह दो प्रतियों में नहीं भरा गया है।

(च) जहां वादी नियम 9 के प्रावधानों के पालन में असफल रहता है।

पत्रावली में उपलब्ध जमाबंदी संवंत 2073 – 2076 चक 4 जी बड़ी पटवार हल्का कालियां तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 52/45 के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 रिकार्डिड खातेदार है एवं वादी द्वारा कोई बंटवारानामा प्रस्तुत नहीं किया है जबकि केवल कब्जा काश्त के आधार पर वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188, 92 ए, 209 राजस्थान कास्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया गया है। वादीगण के प्रतिकूल आधिपत्य के आधार पर खातेदारी का दावा किया है। जबकि कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 के नाम से खातेदारी दर्ज है। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित है। प्रार्थी/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत Citation : 2022(2) DNJ (Rev.) 1544 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER के वाद State of Rajasthan VS Balvantram........ में No Suit can be decreed on the basis of adverse possession and on the basis of oral evidence. Citation : 2[illegible] DNJ (Rev.) 1468 BOARD OF REVENUE FOR RAJASTHAN, AJMER के वाद Gurdev singh & ors. VS Balkaur Singh & Ors. में Appellant claimed the khatedari on the basis of adverse possession- Land recorded in khatedari of Smt. Gurunam Kaur- No suit is maintainable since barred by law- No provision of granting khatedari on the basis of adverse possession. प्रार्थना पत्र के तथ्यों पर पूर्णतया चस्पा होते है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11

Signature Not Verified
Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एव
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

सपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता हैं एवं वाद संख्या 2022/102, अनवानी बाधुदेवी व अन्य बनाम दर्शना देवी व अन्य वर्तमान स्तर पर खारिज किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 29 नवम्बर, 2024 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से को जारी किया गया।

स्वाति गुप्ता
आर.ए.एस.
सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक), श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Swati Gupta
Date: 2024.12.04 17:39:53 IST
Reason: SelfAttested